



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38037

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6751/2026

सुभाष

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. प्रत्यर्थी संख्या 3/उप-जिलाधिकारी, मार्टिनगंज, जिला आजमगढ़ द्वारा भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही, वाद संख्या 4889/2025 में दिनांक 17.12.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के अंतर्गत निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील संख्या सी202515000003680 दायर की गई है। उक्त अपील के साथ अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु आवेदन भी दायर किया गया है। तर्क दिया गया है कि अंतरिम संरक्षण हेतु एक अन्य आवेदन भी दायर किया गया है, जिस पर अपर आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 29.12.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 17.12.2025 को पारित आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। तर्क दिया गया है कि उक्त आदेश का लाभ उठाते हुए निजी प्रत्यर्थी ने विवादित भूखंड पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रार्थना की गई है कि अंतरिम संरक्षण तत्काल आवश्यक है अन्यथा याचिकाकर्ता को अप्रतिकार्य हानि होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ अथवा जिस प्राधिकरण के समक्ष यह मामला लंबित है, वह स्थगन आवेदन को अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए बिना विनिश्चित करे।
3. छह सप्ताह की अवधि के लिए अथवा मामले में निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, पक्षकारों को आज की तारीख की यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

19 फ़रवरी, 2026

शकलैन